(11)

सख्या 15 /XXIV(6)/2011

प्रेषक,

आर0के0सुधांशु,
अपर सचिव (स्वतन्त्र प्रभार),
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
कुमांऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 01 अगस्त, 2011

विषय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कुलपति, कुमांऊ विश्वविद्यालय नैनीताल के अर्द्वशासकीय पत्र संख्याः केयू/वीसी/बजट/2011/1098 दिनांक 06,अप्रेल 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आलोच्य वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आय–व्यय के **आयोजनेत्तर पक्ष** में प्राविधानित धनराशि ₹ 19,00,00,000.00 (₹ उन्नीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष कुमांऊ विश्वविद्यालय नैनीताल के शिक्षकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमानों के फलस्वरूप देय एरियर का 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा 20 प्रतिशत के एरियर तथा वेतनादि भुगतान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या : 15/ xxiv(6)/2011 दिनांक 07,मार्च–2011 द्वारा ₹ 08,59,17,000/– (₹ आठ करोड़ उन्नसठ लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि पूर्व में ही अवमुक्त कर दी गयी थी, परन्तु अपरिहार्य कारणों से केन्द्रांश की राशि अवमुक्त नहीं हो पायी थी। अतः विश्वविद्यालय के उक्त प्रस्तावानुसार कुमांऊ विश्वविद्यालय नैनीताल के शिक्षकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमानों के फलस्वरूप देय एरियर का 80 प्रतिशत भुगतान तीन किश्तों में किये जाने तथा भारत सरकार से इसकी प्रतिपूर्ति हो जाने की प्रत्याशा में वर्तमान में ₹ 06,50,00,000.00 (₹ छः करोड़ पचास लाख मात्र) की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण यथा आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा । इस अनुदान के बिल पर जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जायेंगें ।

(2) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो ।

(3) **स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल विश्वविद्यालय के शिक्षकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमानों के फलस्वरूप देय एरियर का 80 प्रतिशत के भुगतान हेतु ही किया जायेगा** । अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा ।

(4) जिन कार्मिकों ने राजकीय दर पर पेंशन का विकल्प दिया है, उनके जीपीएफ की धनराशि उनके वेतन से काटकर राजकीय कोषागार में नियमित रूप से जमा कराया जाये, उसे अन्यत्र जमा न किया जाये ।

(5) इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित पदों, मदों पर ही किया जायेगा । अस्थायी रूप से इसका कोई भी भाग अन्य अनानुमोदित पदों, अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता, मानदेय कार्यो एवं दैनिक वेतन भोगी/संविदा कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्ययावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा ।

(6) उक्त स्वीकृत की जा रही सम्पूर्ण धनराशि की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(7) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–आयोजनेत्तर–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–03–कुमांऊ विश्वविद्यालय–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा ।

(8) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या – 21(NP)/xxvii(3)/2011–12 दिनांक 01,सितम्बर–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(आर0के0सुधांशु)
अपर सचिव (स्वतन्त्र प्रभार)

पृष्ठांकन संख्या : 15/XXIV(6)/2011 दिनांकित :

प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
3. अपर सचिव, कुलाधिपति, राज भवन, देहरादून ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी ।
5. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी जिला नैनीताल ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड ।
9. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन ।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
अनु सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा)
संख्या : — — /xxiv(6)2011
देहरादून, दिनांक: 02 सितम्बर, 2011

शुद्धि–पत्र

कुमांऊ विश्वविद्यालय नैनीताल के शिक्षकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमानों के फलस्वरूप देय एरियर में से 80 प्रतिशत की कुल धनराशि में से केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या 15/xxiv(6)/2011 दिनांक 01,सितम्बर 2011 द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹ 06,50,00,000.00 (₹ छः करोड़ पचास लाख मात्र) के प्रस्तर–1 (1) में "स्वीकृत धनराशि का आहरण यथा आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।" के स्थान पर निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

"स्वीकृत धनराशि के फलस्वरूप एरियर का भुगतान देय आयकर तथा नई पेंशन योजना के अंशदान को काटकर कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा किया जायेगा, जिसे आगामी तीन वर्षो तक नहीं निकाला जा सकेगा । केवल सेवानिवृत्त, मृत या सेवा छोड़ चुके कार्मिकों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी, उनको एरियर का भुगतान नगद किया जायेगा।"

2– उक्त शासनादेश इस सीमा तक ही संशोधित् समझा जाये ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या –22(N)(पी)/XXVII(3)/2011 दिनॉक 02, सितम्बर–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

(आर0के0 सुधॉशु)
अपर सचिव (स्वतन्त्र प्रभार)

पृष्ठांकन संख्या : 15/XXIV(6)/2011 दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
3. अपर सचिव, कुलाधिपति, राज भवन, देहरादून ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी ।
5. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी जिला नैनीताल ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड ।
9. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन ।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,
(केदीराम)
अनु सचिव ।